

कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर (राज.)
 पत्र प्रति क्रमांक 20.12.2019
 प्रमति अधिकारी ADME

राजस्थान सरकार
 कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
 क्रमांक:-प.14/रीडर प्रथम/संआज/3518-22

दिनांक 18/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी,
 जयपुर/सीकर/झुन्झुनू,
 दौसा/अलवर।


RAA
 पत्रावली
 25/12/19

विषय:-अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 की पालना बाबत।
 प्रसंग:-कार्यालय का पूर्व पत्रांक 2995-99 दिनांक 25.10.19

837
 24124

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1(17)राजस्व-6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा राजस्व अपील अधिकारी की कुछ शक्तियाँ संभागीय आयुक्तों को प्रत्यायोजित की गई है जिसके संदर्भ में कार्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा उक्त अधिसूचना की पालना में धारा 75 एवं 76 के तहत आपके न्यायालय में विचाराधीन अपीलें अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर को शीघ्र भिजवाने बाबत लिखा गया था किन्तु उक्त पत्रावली आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है।

अतः इस सम्बन्ध में पुनः लेख है कि उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में आपके न्यायालय में विचाराधीन अपीलें अविलम्ब न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार अपीलों के प्रभावी एवं तीव्र निष्पादन की कार्यवाही सम्पादित की जा सके।



(के०सी०वर्मा)
 संभागीय आयुक्त,
 जयपुर।

क्रमांक:-सम/

दिनांक

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर/सीकर/झुन्झुनू/दौसा/अलवर।

11
 अति संभागीय आयुक्त